न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—515/2016/223 (2016/00515)

1. श्रीमती कमला पुत्री स्व0 हरिसिंह पत्नी भगवानसिंह, जाति रावत, निवासी गढ़ी थोरियान, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती रूपी पुत्री स्व0 हरिसिंह पत्नी रमेशसिंह, जाति रावत, निवासी शेरा की बावडी, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बलदेव सिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह,
2. डाली पत्नी स्व0 लक्ष्मण, जसवंत पुत्र लक्ष्मण,
3. जसवंत पुत्र लक्ष्मण,
4. हेमन्त पुत्र लक्ष्मण,
5. टिकल पुत्री लक्ष्मण,
   क्रमांक 4 व 5 नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती डाली पत्नी स्व0 लक्ष्मणसिंह, जाति रावत ।
   समस्त जाति रावत, नि0 गणेशपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमे ।
6. हीरालाल पुत्र माणकचंद,
7. रीतु कुमारी पुत्री जंवरीलाल,
   समस्त जाति जैन, निवासी नया बास, तह0 ब्यावर, जिला अजेमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. उप पंजीयक अधिकारी, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 25.10.2016 अंतर्गत वाद संख्या 30/2012.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रोहित सोनी, वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7.
3. रेस्पो0 संख्या 1 से 5 अनपुस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8 व 9.

निर्णय

दिनांकः— 18.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 के

तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम गणेशपुरा, तह0 ब्यावर में स्थित है जिसके साबिक खसरा नंबर 419, 415 व 417 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 579 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 582 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 585 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा है । वादपत्र में अपना पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया जिसमं हरिसिंह के पुत्र लक्ष्मणसिंह, बलदेवसिंह तथा पुत्रियां कमला व रूपी होना दर्शाया । इसी प्रकार लक्ष्मण के फौत होने पर उसके वारिसान डाली बेवा जसवंतसिंह, हेमंतसिंह और टिकल पुत्री होना बताया तथा उक्त विवादित आराजियात पुश्तैनी है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता एवं दादा के उपयोग, उपभोग की थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त में चली आ रही है । वादिया प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 डाली के पति स्व0 लक्ष्मण की सगी बहने है जिनका विवादित आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है । हरिसिंह के स्वर्गवास होने पर विवादित आराजी लक्ष्मणसिंह के नाम दर्ज की गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्राकृतिक सरंक्षक बनकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम नाबालिग मं दर्ज करवा लिया जबकि वादीगण का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था । लक्ष्मण शराबी प्रवृति का व्यक्ति था जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने संपूर्ण विवादित आराजी बयनामा अपने नाम लिखवा लिया जबकि स्व0 लक्ष्मण का 1/4 हिस्सा ही था जिसे भी बिना बंटवारा कराये बेचान करने का अधिकार नहीं था तथा बयनामे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक व अधिकारों के बाबत् बातिल व बेअसर है जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है । अतः वाद में वर्णितानुसार वाद स्वीकार करने का निवेदन किया । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 6 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात् दिनांक 5.10.2016 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2016 को प्रतिवादी संख्या 6 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस संख्या6 व 7 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 6 व 7 कीी एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 11 जा0दी0 को स्वीकार कर वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 जो वाद को खारिज करने के प्रावधान इंगित करता है उसमें जो आधार बताये गये है उन आधारों पर अगर कोई वाद कवर होता है तो ही वाद को खारिज किया जा सकता है अन्यथा वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि वादिया द्वारा बंटवारे व स्थायी निषेधाज्ञा व खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया गया था जिसको सुनने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विद्वान

उपखण्ड अधिकारी को ही था । बह समें आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका थ तथा पत्रावली वास्ते तनकियात में दिनांक 17.11.2014 से नियत होती आ रही थी जो लगभग 2 वर्षो से उक्त कार्यवाही में विचाराधीरन थी इसलिये तनकियात कायम कर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर विधिक रूप से वाद का निर्णय करना चाहिये था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वाद को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि हरिसिंह का स्वर्गवास सन् 1985 में होना बताया है इसलिये हरिसिंह की विरासत का नामांतकरण अपीलांट के पक्ष में खोला जाना चाहिये था । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 के तहत अपीलांट अधिकारी थी इसलिये वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में यह सब तथ्य वाद की कार्यवाही में किया जाना था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 6 व 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांट के पिता हरिसिंह का स्वर्गवास सन् 1985 में होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 2005 के संशोधित प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत पुत्रियों को 2005 के पश्चात् पिता की मृत्यु होने पर पारिवारिक भूमियों में सहदायियक व हिस्सेदार माना गया है । राजस्व अभिलेख संवत् 2041 में वादीगण के पिता हरिसिंह की मृत्यु होने पर विरासती नामांतकरण भी दर्ज हो चुका है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस ने विवादित आराजियात पैतृक बताते हुए अधी0न्याया0 के समक्ष घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था । उक्त वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 6 ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात् पत्रावली को दिनांक 17.11.2014 को वास्ते तनकियात कायम कर नियत की गई । पत्रावली वास्ते तनकियात लगभग 2 वर्षो तक चलती रही । उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते दिनांक 5.10.2016 को रेस्पो0 संख्या 6 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब पत्रावली में प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका था तथा पत्रावली वास्ते कायम तनकियात चल रही थी तो अधी0न्याया0 को चाहिये था प्रतिवादी/रेस्पो0 ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये है उस संबंध में आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते । किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित न कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा

अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया जाता है । प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वादपत्र में एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर